**Schedule XL11- High Court (J) 9s.{Old (M.) 164.}**

**IN THE COURT OF DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-cum-SPECIAL JUDGE POCSO ACT, SUPAUL**

Present: BRIJ KISHORE SINGH, DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-cum-SPECIAL JUDGE POCSO ACT, SUPAUL

**A.B.A- 580/2026**

**G.R. Case No- 553/2026**

REKHA DEVI vs. STATE (Through informant Ghuran Thakur)

- Learned Counsel For The Petitioner/Accused — Shri Jawahar Jha , Adv.
- Learned Public Prosecutor and Pros. Adv. --- Sri.Mahendre Prasad Sah , Spl. P.P Pocso, Supaul.

**Maruna P.S.CASE NO –25/2026**

Under Sections—137(2),96,351(2) 352, 3(5) of IPC.

| Serial No. | Date of order of proceeding | Order with signature of the court | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 27-04-2026 | **आदेश**<br>प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **1. रेखा देवी** के तरफ से दाखिल किया गया है, जो कि मरौना नदी थाना काण्ड संख्या–25/2026 अन्तर्गत धारा–137(2),96,351(2),352,3(5) भा0न्या0सं0 के संदर्भ में गिरफ्तारी के भय से आशंकित हैं। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विशेष लोक अभियोजक को हस्तगत कराई गई है। उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत है।<br><br>प्रस्तुत वाद सूचक धुरन ठाकुर द्वारा दाखिल प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 26.02.2026 को समय करीब 07:00 बजे शाम को मेरी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को विशाल कुमार मुखिया, साकिन–पाण्डेपट्टी वार्ड नं0–02, थाना–मरौना, जिला–सुपौल को शादी करने के नियत से अपहरण कर ले गया। हम लोग खोजबीन कर रहे थे कि दिनांक 28.02.2026 को समय करीब 07:00 बजे शाम में भलुआही दुर्गा मंदिर प्रांगण में देखा गया। जब इस बात की सूचना मिली तो हम लोग वहॉ पहुंचे उसके बाद लड़का लड़की को एक साथ पकड़कर थानाध्यक्ष मरौना को मोबाईल के माध्यम से सूचना दिया। उसके बाद पीड़िता को विशाल कुमार मुखिया को थानाध्यक्ष अपने कब्जे में ले लिया। जब हम लोग लड़का के घर गए तो उसकी मॉ रेखा देवी उम्र करीब 38 वर्ष पति स्व0 सुधीर मुखिया ने हम लोग को गाली–गलौज व चंद तरह की धमकी दी जा रही है। अतः माननीय से प्रार्थना है कि उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।<br>आवेदिका/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि,'' आवेदकगण प्रस्तुत कांड में नामित अभियुक्ता हैं, जो कि धारा 137(2),96,351(2) 352, 3(5) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत है। अतः आवेदिका प्रस्तुत कांड में अपनी गिरफ्तारी के प्रति आशंकित हैं। आवेदिका की ओर से प्रासंगिक वाद में आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन है उक्त जमानत आवेदन के अलावा अन्य किसी प्रकार की जमानत आवेदन किसी भी समक्ष | |

| Serial No. | Date of order of proceeding | Order with signature of the court | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | न्यायालय में दाखिल नहीं किये है। आवेदक के विरुद्ध प्रासंगिक काण्ड के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका के विरुद्ध सूचक द्वारा मुख्य आरोप लगाया गया है कि जब हम लोग लड़का के घर गये तो उसकी मॉ रेखा देवी ने हम लोगों को गाली–गलौज व चंद तरह की धमकी दी जा रही है तथा सूचक द्वारा दी गयी आवेदन में आवेदक ग्राम पाण्डेपट्टी वार्ड नं0–02 अंकित है, लेकिन प्राथमिकी के पारा–7 में ग्राम भलुआही वार्ड नं0–03 अंकित है। आवेदिका गरीब एवं विधवा महिला है, जिस पर सूचक द्वारा आक्रोशित व दबाव बनाने हेतु गलत रूप से फंसाया गया है। दिनांक 28.02.2026 को भलुआही दुर्गा मंदिर प्रांगण से अपहृता एवं अभियुक्त विशाल कुमार मुखिया को थानाध्यक्ष द्वारा कब्जे में लेने के बाद अपहृता का बयान धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में दर्ज किया। जिस बयान में अपहृता की उम्र 17 अंकित है। यह भी बतायी है कि मेरे मॉ–बाप, चाचा, एवं मामा मिलकर जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, बार–बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो किस आधार पर नाबालिग बेटी की शादी सूचक एवं उनके परिजनों द्वारा करवाया जा रहा था, उक्त बयान से स्पष्ट प्रतीत होता है जिस बनाये गये अभियुक्त विशाल से दो वर्षों से अपहृता प्रेम करती थी, लेकिन बालिग होने के बावजूद भी आधार कार्ड और आठवीं कक्षा के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 01.01. 2009 से नाबालिग होने की बात को जानकर शादी नहीं कर बालिग होने की इंतजार कर रही थी, लेकिन माता–पिता एवं मामा के द्वारा दूरी जगह शादी करने का दबाव एवं जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती तो अपहृता को मंदिर में भगवान के समक्ष शादी करने की गलत कदम नहीं उठाती, जहॉ तक आवेदिका को प्रासंगिक घटना के संबंध में पूर्व से जानकारी नहीं थी। जब अपहृता की बरामदगी एवं बनाये गये अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। आवेदिका को उक्त घटित घटना की जानकारी हुई। आवेदिका के निर्दोष होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की भय को लेकर उक्त जमानत आवेदन दाखिल कर रहे है। आवेदिका अपनी जमानत के पचात् 482(2) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अंडरटेकिंग दाखिल करने को तैयार है। अधिवक्ता आवेदक **रेखा देवी** का अग्रिम जमानत स्वीकृत करने की प्रार्थना करते हैं।<br><br>विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 09.04.2026 का प्रबल विरोध करते हुए कथन करते हैं कि,'' आवेदक **रेखा देवी** इस कांड के नामजद अभियुक्त हैं। आवेदिका को अग्रिम जमानत देने से अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'' तद्नुसार विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी आवेदिका की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक **09.04.2026** को अस्वीकृत करने की प्रार्थना करते हैं। | |

| Serial No. | Date of order of proceeding | Order with signature of the court | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकनोपरांत यह परिलक्षित होता है कि, आवेदिका प्रस्तुत वाद की नामित अभियुक्त हैं। प्राथमिकी धारा–137(2),96,351(2),352,3(5) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदिका के विरुद्ध आरोप है कि सूचिका जब विशाल कुमार मुखिया के घर पर गयी तो उसकी मॉ रेखा देवी (आवेदिका) गाली–गलौज व चंद तरह की धमकी दी। काण्ड दैनिकी के कंडिका–05 में अपहृता का धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज बयान अंकित है, जिसमें पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे मॉ–बाप, चाचा एवं मामा मिलकर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे एवं बार–बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मैं विशाल कुमार, पे0–स्व0 अजय कुमार मुखिया के साथ दिनांक 26.02.2026 के शाम को घर से भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिसमें किसी का कोई जोर–जबरदस्ती नहीं था। काण्ड दैनिकी के कंडिका–09 में अपहृता का विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र अंकित है, जिसके अनुसार अपहृता का जन्म तिथि 01.01.2009 है तथा घटना तिथि को अपहृता का उम्र 17 साल 01 माह 27 दिन होता है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–12 में वादी ने पुनर्ब्यान में, कंडिका–13 में साक्षी ललिता देवी ने प्राथमिकी में अंकित घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–27 में अमोला देवी ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी के पारा–32 में अपहृता का धारा–183 बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज बयान अंकित है, जिसमें पीड़िता ने स्पष्ट कहा है कि अपनी मर्जी से दिनांक 26.02.2026 को विशाल कुमार मुखिया के साथ दरभंगा के रास्ते में मंदिर में शादी कर ली। मेरे पिताजी मेरे मर्जी के बिना जबरदस्ती दिल्ली में मेरी शादी तय कर रहे थे, इसी गुस्से में मैंने अपनी मर्जी से विशाल से शादी कर ली। अपहृता के बयान के अवलोकन से प्रकट होता है कि उसने आवेदिका का घटना में संलिप्तता के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–36 के अवलोकन से प्रकट होता है कि पीड़िता एवं उसके पिता के द्वारा चिकित्सकीय जॉच हेतु स्वेच्छा से अपनी सहमति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया तथा कहा कि किसी प्रकार की चिकित्सकीय जॉच नहीं कराना चाहते हैं। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदिका के विरुद्ध प्रासंगिक काण्ड के अलावा कोई अन्य काण्ड दर्ज नहीं है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदिका गरीब वो विधवा महिला है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–38 के अनुसार काण्ड का अनुसंधान जारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद के परिस्थितियों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन के उपरांत यह न्यायालय पाती है कि आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदिका रेखा देवी की ओर से दिनांक 09.04.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन एतद् द्वारा **स्वीकृत** किया जाता है, तदनुसार इस आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्तर्गत | |

**A.B.A-- 1268/2024**

**JADIA P.S.CASE NO –144/2018**

| Serial No. | Date of order of proceeding | Order with signature of the court | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में आवेदिका रेखा देवी को मो0 10,000/– राशि के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं को दाखिल करने पर विद्वान सुश्री राखी कुमारी, न्यायिक पदाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सुपौल के संतोषोपरांत निम्नवत शर्तो के अधीन मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। जमानतदारों में से एक जमानतदार आवेदक के ग्रामीण अथवा नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए।

1. आवेदिका प्रस्तुत कांड के अनुसंधान में सहयोग प्रदान करेंगे तथा अनुसंधानक द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होकर वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।

2. आवेदिका इस कांड से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जिसके पास इस कांड की जानकारी अथवा साक्ष्य हो, को किसी प्रकार से प्रभावित, प्रलोभित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

लेखापित

**राजेश कुमार, चतुर्थ**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ट्म
–सह–
विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, जदिया

| | |
|---|---|
| **Date of Order** | **27-04-2026** |
| **Date of Reserving Order** | **27-04-2026** |
| **Uploading Date** | **30-04-2026** |
| **Uploaded by** | **RAJEEV KUMAR** |